संख्या– 1010 दिनांक– 10/07/25

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण – पत्र
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या– 183/2025–26

फाईल संख्या AL-35036

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि एस.एस. जागरूकता शिक्षा सेवा समिति मथुरा उर्फ पारनडीह, पोस्ट– गारापुर, तहसील– फूलपुर, जिला– प्रयागराज

को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र संख्या 53/2014-2015 दिनांक 19.04.2014 को दिनांक 19.04.2024 से पॉच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है।

1850/– रूपये की नवीनीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 10.07.2025

10/07/25

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश

:: नोट ::

यह नवीनीकरण प्रमाणपत्र संस्था के हित में निर्गत किया जा रहा है जो संस्था के अन्यथा विधिपूर्वक पंजीकृत रहने की दशा में ही मान्य हैं। इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र से किसी आवेदक, प्रबंध समिति अथवा किसी अन्य सम्बद्ध/असम्बद्ध व्यक्ति के किसी दावे , अधिकार, अनुतोष अथवा मान्यता की पुष्टि नहीं होती है तथा इन प्रयोजनों हेतु इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र का प्रयोग किसी न्यायालय में मान्य नहीं है। इस प्रमाण पत्र को केवल संस्था हित में निर्गत किया जा रहा है तथा किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में यह पठनीय नहीं होगा।

स्मृति पत्र

१. संस्था का नाम- एस० एस० जागरूकता शिक्षा सेवा समिति

२. संस्था का पता - मथुरा उर्फ पारनहीह,पोस्ट-गारापुर,तहसील-फूलपुर,इला०

३. संस्था का कार्यक्षेत्र- सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

४. संस्था का उद्देश्य-

१. देश की एकता और अखण्डता के लिए जन जागरण करना ।

२. समाज के सभी वर्गो में देश प्रेम और राष्ट्रीय भावना जागृत करने का प्रयास करना ।

३. महिलाओं सामाजिक,शैक्षिक,नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना ।

४. समाज के निर्धन एवं कमजोर लोगो को सामाजिक न्याय दिलाने हेतु निःशुल्क कानूनी सहायता एवं परामर्श की व्यवस्था करना ।

५. बालिकाओं हेतु विद्यालय की स्थापना करना विद्यालय में हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, पाली,भषाओं के विकास के साथ बालक एवं बालिकाओं को प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल इण्टर मीडिएट तथा स्नातक व पी० जी० तक की शिक्षा हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, पाली भाषा के माध्यम से देना ।

६. ग्रामीण सेवा के अशिक्षित बेरोजगार एवं भूखमरी के कगार पर पड़े आर्थिक रूप से अति पिछड़े परिवारों की महिलाओं एवं बच्चों का शिक्षित कर एवं विभिन्न प्रकार के ग्रामोधोगिक प्रशिक्षण देकर उन्हे आत्म निर्भरता की राह दिखाना ।

७. समता समानता सत्य अहिंसा एवं मानवीय धम्म को एक सूत्र में पिरोकर समाज को भय और शोषण विहीन बनने के उद्देश्य कार्य करने वाली यह एक गैर राजनीतिक समाजिक संस्था होगी समाज के उत्थान हेतु कार्य करेगी ।

८. महान संतो पुरुषो एवं सम्राटो के कृतित्व एवं व्यक्तित्व को उनकी शिक्षाओं एवं सिधान्तो लेखन का निःशुल्क प्रकाशन वितरण करने का प्रयास करना तथा बिलुप्त हो रही भाषा साहित्य एवं सभ्यता का पूर्नजीत करना ।

९. शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था करना ।

१०. शिक्षण संस्थानो की स्थापना कर ग्रामीण गरीब को शिक्षा प्राप्त करनें का अवसर प्रदान करना । विज्ञान साहित्य कला के विकास हेतु तथा शिक्षा एवं उपयोगी ज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु पुस्तकालय वाचनालयों की स्थापना हेतु तथा यान्त्रिक अविष्कारों हेतु कार्य करना ।

११. जाति धर्म एवं भेद भाव न रखते महिलाओं एवं बच्चों के समाज में सम्मानित स्थान दिलानें हेतु निःशुल्क शैक्षिक व कानूनी सुविधायें उपलब्ध कराने को प्रयास ।

१२. गरीब शारिरिक रूप से अंपग अशिक्षित एवं अनाथ बच्चों हेतु निः शुल्क शिक्षा छात्रवृत्ति प्रशिक्षण एवं छात्रावासों की व्यवस्था कर उन्हे प्रोत्साहित करना ।

१३. ग्रामीण महिलाओं को सिलाई कढ़ाई बुनाई आदि हस्त कला का निःशुल्क प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्म निर्भर बनाना ।

१४. कृर्षि उत्पादकता बढ़ाने हेतु अनुभव के आधार पर उन्नति एवं आधुनिक व्यवहारिक एवं कुशल प्रशिक्षण देना ।

१५. निबल व असहाय महिलाओं का गृह विज्ञान कृर्षि आत्मनिर्भरता के श्रोतो उपयोगी सेवा का व्यवहारिक प्रशिक्षण देकर उन्हें आर्थिक एवं समाजिक जीवन स्तर का प्रयास करना ।

१६. महिला स्वहित समूहों का गठन कर उन्हे आत्म निर्भर बनाना तथा उनके अन्दर आत्मविश्वास जगाना ।

१७. ग्रामीण पुरुषों एवं महिलाओं को खादीग्रामोउंद्योग पंचायत उद्योग कुटीर उद्योगों की उपयोगिता हेतु प्रशिक्षित करना ।

१८. महिलाओं एवं बच्चों एवं पशुओं हेतु आवश्यक संतुलित अहार एवं उचित देखभाल संम्बन्धित जानकारियों से लोगो संज्ञानित करना परिवार एवं एड्स से सम्बन्धित जानकारिया देना एवं कार्य करना ।

१९. मत्स्य पालन मधुमक्खी पालन मुर्गी पालन एवं पशु पालन बकरी पालन एवं सूअर पालन आदि का रोजगार का अवसर प्रदान करना ।या कृषकों को उनके विषय में निःशुल्क जानकारी देना ।

Kushwaha Ashish ku

सत्य प्रतिलिपि

२०. संस्था के उद्देशों के पूर्ति के लिए केन्द्र सरकार / राज्य सरकार तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं और अर्न्तराष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण एवं अनुदान प्राप्त करना ।

२१. समाज कल्याण विभाग,केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड,लोक कार्यक्रम,प्रौद्योगिकि विकास परिषद(कपार्ट) मानव संसाधन विकास मंत्रालय,पर्यावरण बन मंत्रालय,प्रौढ़शिक्षा निदेशालय,सिप्सा,सूडा,नावार्ड,राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अन्य विभागो तथा अनुभागों द्वारा चलाई जा रही ग्रामीण विकास व मानव कल्याणकारी योजनाओं का हर सम्भव सहायोग करना ।

२२. परिवार द्वारा समाज की हर वर्ग की बृद्धपुरुषों एवं बृद्धमहिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना इनके रोजगार के लिए मत्स पालन,मुर्गी पालन,बकरी पालन,आदि का संचालन करना तथा भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करके सुसज्जित वोल्डऐज होम की स्थापना करना ।

२३ निर्धन एवं असहाय लोगो को स्वास्थ्य सम्बन्धि सहायता प्रदान करने के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना एवं संचालन करना तथा अल्प संख्यक सम्प्रदाय में परिवार नियोजन सम्बन्धि सही जानकारी देकर बढती हुई जनसंख्या पर रोक लगाने हेतु प्रयास करना ।

२४. समाज के समाज के हर वर्ग के बालक एवं बालिकाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था करा जिसके लिए विद्यालयों की स्थापना एवं संचालन की व्यवस्था करना, शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता लेना तथा अनुदान प्राप्त कर संस्था एवं छात्र के हित में लगाना तथा इनके कर्मचारियों के नियुक्ति,पदोन्नति एवं निष्काशन करना ।

२५. ग्रामीण क्षेत्रो में बेरोजगारों को उनकी रुचि एवं क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित करना रोजगार चलाने के लिए वित्तीय संस्थानों से सहायता एवं ऋण दिलाना । जैसे - टाईपिंग प्रशिक्षण,कम्प्यूटर प्रशिक्षण,सिलाई-कढाई प्रशिक्षण,मोबाईल मरम्मत प्रशिक्षण तथा विद्युत मोटर प्रशिक्षण आदि।

२६ लोगों में आर्थिक प्रगति हेतु आर्थिक संगठन की स्थापना करना तथा अल्प बचत के लिए प्रेरित करना तथा सरकार द्वारा संचालित योजनों से ऋण तथा अनुदान दिलाने का प्रयास करना ।जैसे- स्वयं सहायता समूहों का गठन आदि ।

२७ राष्ट्रीय प्रतिको को जागरूकता अभियान के तहत लोगो परिचित कराना एवं उन धरोहरों को सम्मान के प्रति प्रेरित करना

२८. संस्था के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जन हित चिकित्सालय (अस्पताल) खोलना और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराना

२९ विज्ञान तकनीकी एवं कृषि क्षेत्र में शोध प्रयोजना बना तथा उद्देश्य पूर्ति हेतु जिन सरकारी संस्थाओं से बृत सहायता प्राप्त शोध करना तथा फल संरक्षण के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

३० पर्यावरण संरक्षण प्रदुषण समाजिक वन की एवं बृक्षारोपण के महत्व को समझाना। तथा युवकों कुशल प्रशिक्षण प्रदान कर उपरोक्त हेतु अपनी सफल सहभागिता के माध्यम से कार्यकरना ।

३१. सामाजिक विकास से सम्बन्धित परियोजनाओं एवं प्रोगाम को संचालन करना ।

३२. बालक बालिकाओं के विकास हेतु बालबाड़ी केन्द तथा बुनियादी शिक्षा एवं माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना करना ।

३३. संस्था के उद्देश्यों के पुर्ति के लिए अर्द्धसरकारी संस्थाओं एवं खादी ग्रामोद्योग आयोग से दान अनुदान प्राप्त करना।

३४. नागरिक के बौद्धिक विकास हेतु अनौपचारिक एवं पौढ़ शिक्षा क्रेन्दो की स्थापना करना ।

३५. वे समस्त कार्य करना जो सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट की धारा २० के अंर्तगत आते है ।

Rkushwaha Ashish kr सूरज कली
कमलाशंकर
दिनेशकुमार रामपति मन्जू राजकुमार

सत्य प्रतिलिपि

नियमावली

१. संस्था का नाम- एस० एस० जागरूकता शिक्षा सेवा समिति
२. संस्था का पता - मथुरा उर्फ पारनडीह,पोस्ट-गारापुर,फूलपुर,इला०
३. संस्था का कार्यक्षेत्र- सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
४. संस्था का उद्देश्य स्मृति पत्र के अनुसार
5. संस्था की सदस्यता एंव सदस्यों का वर्ग-

1. **संरक्षक सदस्य-:** जो महानुभाव संस्था को एंक मुस्त रू० ५०००/-या इससे अधिक दान स्वरूप देंगें वे संस्था के संरक्षक सदस्य होगें । तथा समाज के प्रतिभा शाली विशिष्ट सेवा, योग्यता एंव दक्षता वाले व्यक्ति को समिति के सचिव द्वारा संस्था का संरक्षक सदस्य नामित किया जायेगा किन्तु वे संस्था के कोई पदाधिकारी नही होगें ।
2. **आजीवन सदस्य-:** जो महानुभाव संस्था को दान स्वरूप १०००/ रूपये देगें वे आजीवन संस्था के सदस्य बने रहेगें ।
3. **साधारण सदस्य-:** जो महानुभाव संस्था को दान स्वरूप ५१ रूपया प्रति वर्ष देते रहेंगें वे संस्था के साधारण सदस्य बने रहेगें ।

4 **सदस्यता की समाप्ति-:** (क) मृत्यु हो जाने पर (ख) पागल दिवालिया हो जाने पर (ग) संस्था के विरूध कार्य करने पर (घ) अविश्वास या त्याग पत्र प्राप्ति हाने पर (ड़) सरकारी अथवा गैर सरकारी मामले में अपराधी सिद्व होने पर (च) नियमित सदस्यता शुल्क न जमा करने पर (छ) लगातार तीन बैठको में अनुपस्थित रहने पर (ज) सचिव की सिफारिस एंव अध्यक्ष के अनुमोदन पर

5. संस्था के अंग -: संस्था के दो अंग होगें -:

(१) साधारण सभा (२) प्रबन्धकारिणी सभा

साधारण सभा का गठन:- साधारण सभा का गठन सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर होगा जिसमें धारा चार में वर्णित सभी सदस्य सामिल होगें ।

(क) बैठकें -: अध्यक्ष के अनुमोदन सें साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एकं बार होगी । बिसेस बैठक कभी भी आवश्यकता अनुसार सभी सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है ।

(ख) सूचना अवधि-: साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना पन्द्रह दिन पूर्व तथा विषेश बैठक की सूचना सात दिन सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों को दी जायेगी ।

(ग) साधारण सभा के कुल सदस्यों में से २/३ सदस्यों की उपस्थिति में गणपूर्ति मान्य होगी । परन्तु गणपूर्ति के अभाव में एक बैठक अस्थगित होने पर पूनः बुलाई गई दूसरी बैठके में गणपूर्ति का प्रतिबन्ध नही होगा ।

(घ) **वार्षिक अधिवेशन की तिथि -:** साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा । जिसकी तिथि प्रबन्ध कारिणी समिति के २/३ सदस्यों के बहुमत से तय की जायेगी ।

6 साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य -:

1. प्रबन्धन कारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन करना ।
2. संस्था के नियमों का संशोधन करना ।
3. वार्षिक बजट पास करना ।
4. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करना ।

सत्य प्रतिलिपि

कार्यकाल-:

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल ५ वर्ष का होगा ।

प्रबन्धकारिणी समिति पदाधिकारियों के अधिकार व कत्यर्ब्य –:

अध्यक्ष –:

१. सभी प्रकार की बैठको की अध्यक्षता करना ।
२. बैठको में शान्ति व्यवस्था बनाये रखना ।
३. सामान मत होने पर अपना मत अतिरिक्त देना ।
४. त्याग पत्र स्वीकार करना ।
५. बैठक की तिथिओं का अनुमोदन करना ।
६. बैठक स्थगित करना तथा आहुत करने हेतु निर्देश देना ।

2. उपाध्यक्ष -:-:

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कर्तब्य पालन में अक्षम हो जाने पर अध्यक्ष के रुप में कार्य करना ।
2. ऐसे समस्त अधिकारों का प्रयोग करना तथा कर्तब्यों का पालन करना जो अध्यक्ष द्वारा उन्हे लिखित रुप से निहित किये गये हों ।

3 सचिव -:

1. संस्था के सर्वे सर्वा कार्य कर्ता अधिकारी होगा ।
2. संस्था के लिए समस्त दान,अनुदान,चन्दे प्राप्त करना और उसके लिए यथाविधि रसीद देना ।
3. समिति, विभाग एवं विनियमों के निर्देशों के अधीन रहते हुए संस्था की सभी सम्पत्तियों तथा धन राशियों की सुरक्षा ,अभिरक्षा एवं विनियोंजन का प्रबन्ध करना ।
4. संस्था के कार्य संचालन के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति,निष्काशन,निलम्बन,पदोन्नति करना ।
5. नियमों तथा स्वीकृती की सर्तो के अधीन रहते हुए बजट में की गई ब्यवस्था के भीतर संस्था का वित्तीय प्रशासन चलाना एवं नियंत्रण करना ।
6. अर्द्धसरकारी / सरकारी कार्यालयों से सहायता प्राप्त करना तथा उन्हे संस्था के हित में लगाना ।
7- संस्था की तरफ से समस्त प्रपत्रों, अभिलेखों,दस्तावेजों,बैनामों,आदि का वार्षिक बजट तैयार करना और लागू करना ।
8. संस्था बिरोधी कार्य करने वाले सदस्य य पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना ।तथा निष्काशन एंवं निलम्बन करना ।
9. वित्तीय मामले में निर्णय लेना ।
10. संस्था की तरफ से पत्र ब्यवहार करना ।
11. बैठको की सूचना सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों को लिखित रुप से देना ।
12. बैठको की कार्यवाही लिपिबद्ध करना ।
13. सदस्यों के नाम रजिस्टर में लिखना ।
14. बैठको के लिए एजेन्डा तैयार करना ।
15. संस्था के आय ब्यय का अभिलेख रखना ।
16. सदस्यों एवं पदाधिकारियों के निष्काशन एवं नियुक्ति की कार्यवाही करना ।
17. समस्त सरकारी अर्द्धसरकारी एवं अदालती कार्यवाही केवल सचिव ही करेगा ।

सत्य प्रतिलिपि

3. प्रबन्धन कारिणी समिति की अनियमितताओं पर ध्यान रखना एवं निराकरण करना ।

4. प्रबन्ध कारिणी समिति द्वारा प्रस्तावित विषयों पर विचार करना एवं पारित करना ।

7--प्रबन्धन कारिणी समिति -:

(क) गठन-: साधारण सभा द्वारा जिसमें निर्वाचित पन्द्रह सदस्यों को मिलाकर कारिणी समिति का गठन होगा । जिसमें एक अध्यक्ष,एक उपाध्यक्ष,एक सचिव, एक सहायक सचिव एक कोषाध्यक्ष, तथा [illegible] सदस्य होगें । जिनकी संख्या आवश्यकता अनुसार कभी भी घटाई जा सकती है।

(ख) बैठकें-: अध्यक्ष के अनुमोदन से प्रबन्ध कारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार होगी विशेष बैठक कभी भी आहुति की जा सकती है ।

(ग) सूचना अवधि-: प्रबन्ध कारिणी समिति के बैठक की सूचना कम से कम सात दिन पूर्व तथा विशेष बैइक की सूचना तीन दिन पूर्व देना आवश्यक होगा ।

(घ) गणपूर्ति -: प्रबन्ध कारिणी समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों की संख्या २/३ तीन भाग आवश्यक होगा । एक बार बैठक अस्थगित हो जाने पर पूनः दोबारा बुलायी गई बैठक के केलिए गणपूर्ति का प्रतिबन्ध न होगा ।

(ङ) रिक्त स्थानों की पूर्ति-: प्रबन्ध कारिणी समिति में यदि किसी कारण वश कोई स्थान रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति संस्था के सचिव द्वारा अगले चुनाव की शेष अवधि तक के लिए साधारण सभा के सदस्यों में से कर ली जायेगी । प्रबन्ध कारिणी समिति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा ।परन्तु प्रत्येक पदाधिकारी एवं सदस्य का कार्यकाल उसके उत्तराधिकारी के निर्वाचन होने तक माना जायेगा ।

8.प्रबन्ध कारिणी समिति के कर्तब्य -:

1. संस्था के समस्त कार्यों का क्रियान्वयन करना
2. संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना
3. दान अनुदान चन्दे प्राप्त करना और संस्था के विकास कार्य में लगाना ।
4. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग , केन्दीय समाज कल्याण सलाह कार बोर्ड,उ०प्र० खादी ग्रामोद्योग बोर्ड,खादीग्रामोद्योग आयोग सार्वजनिक संस्थाओं तथा अन्य श्रोतों से दान अनुदान चन्दा एवं ऋण प्राप्त करना ।
5. संस्था के उद्देश्यों के पूर्ति हेतु उद्देश्यों में वर्णित समस्त कार्य करना ।
6. संस्था का सूचारु रुप से संचालन करना, साधारण सभा के द्वारा पारित एवं निर्णीत योजनाओं एवं प्रस्ताओं का क्रियान्वयन करना ।
7. शिक्षण,प्रशिक्षण,स्वस्थ्य संबन्धी संस्थाओं की स्थापना संचालन तथा नियन्त्रण करना जिसमें नर्सरी कक्षाओं से लेकर स्नातक स्तर तक की भी शिक्षण संस्थाऐं होगी ।
8. समाज कल्याण तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु भिन्न स्थानों पर उप समितियों द्वारा विद्यालय तथा अन्य कल्याण केन्द्र खोलकर उनका संचालन करना ।

ऋण अदायगी का दायित्व -: संस्था यदि किसी प्रकार का वित्तीय ऋण प्राप्त करती है तो उसकी सुरक्षा एवं अदायगी के लिए प्रबन्ध कारिणी समिति के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्य सामूहिक रुप से व्यक्तिगत रुप सें

सत्य प्रतिलिपि

कोशाध्यक्ष–

1. संस्था के कोष संम्बन्धी कार्य करना ।
2. हस्ताक्षारित विलो को भुगतान करना ।
3. सभी प्रकार के कैश को कैशबुक में इन्द्राज करना ।

6 – संरक्षक–:

विद्यालय के आम प्रशासन तथा वित्तीय स्थिति को सुचारु रुप से चलायेगा। विद्यालय भवन कार्यालय तथा विद्यालय से सम्बन्धित सभी इमारतों की देख भाल एवं मरम्मत करायेगा ।शिक्षा विभाग के अधिकाररियों द्वारा लगाये गये नोटिस,आडिट नोट्स मंत्री की सहायता से पूरा करेगा। विद्यालय का बजट बना कर प्रबन्ध कारिणी समिति के समक्ष रखेगा । प्रबन्ध कारिणी समिति की ओर से लिखा पढी करेगा तथा सभी प्रकार के देना पावना कागजों पर हस्ताक्षर करेगा । विद्यालय हेतु किसी भी प्रकार का दान अनुदान प्राप्त करेगा । विद्यालयी कर्मचारियों को अवकाश देगा जो दों माह से अधिक का नहीं होगा ।

7– सहायक ~~प्रबन्धक~~– सचिव

सचिव ~~प्रबन्धक~~ की अनुपस्थिति में उसके सभी कार्य सहायक सचिव ~~प्रबन्धक~~ के द्वारा सम्पादित किये जायेगें।

11. लेखापरीक्षण –:

संस्था का लेखा परीक्षण संस्था के द्वारा नामित लेखापरीक्षक से सम्पन्न कराया जायेगा ।

12.संस्था के अभिलेख –:

बैठक सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर एवं अन्य रजिस्टर पत्र पंजिका अदालती कार्यवाही सम्बन्धी प्रपत्र रजिस्टर एवं चरित्र पंजिका ।

13.संस्था का कोष –: संस्था का समस्त धन किसी मान्यता प्राप्त बैक या डाकघर में जमा होगा । जिसका आहरण संस्था के सचिव के हस्ताक्षर से होगा ।संस्था का लेखापरीक्षण योग्य लेखापरीक्षक से कराया जायेगा ।

संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध कार्यवाही के संचालन का उत्तरादायित्व –:

संस्था द्वारा उसके समस्त प्रकार के वाद विवाद के निर्देशों का कार्य संचालन क्षेत्र जिला इलाहाबाद ही होगा तथा समस्त प्रकार का अदालती कार्यवाही का संचालन संस्था के सचिव का होगा ।

14- विघटन –: संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति निस्तारण अदालती कार्यवाही शोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा १३ एवं १४ के अर्न्तगत की जायेगी ।

सत्यप्रतिलिपि

10-6-2014

सत्यापित

Rushmaher   Ashish Ku   सूरज कली

मनोज   राजकुमार

दिनेश कुमार रा.भगत

कमलाशंकर

सत्य प्रतिलिपि

06/05/14

10.प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम पता पद व्यवसाय जिनको संस्था के इस स्मृति पत्र नियमावली द्वारा कार्य भार सौपा गया

	नाम	पिता/पति का नाम	पद का नाम	ब्यवसाय	पता
1	सुरजकली	पत्नी रामजी	संरक्षक	गृहणी	मथुरा उर्फ पारनडीह पो०-गारापुर,इला०
2	राज कुमार	श्री रामजी	अध्यक्ष	समाज सेवा	मथुरा उर्फ पारनडीह पो०-गारापुर,इला०
3	रामजी कुशवाहा	स्व० रामसुख	उपाध्यक्ष	कृषि	मथुरा उर्फ पारनडीह पो०-गारापुर,इला०
4	आशीष कुमार कुशवाहा	श्री रामजी कुशवाहा	सचिव	समाज सेवा	मथुरा उर्फ पारनडीह पो०-गारापुर,इला०
5	मंजू कुशवाहा	पत्नी राजकुमार	कोषाध्यक्ष	गृहणी	मथुरा उर्फ पारनडीह पो०-गारापुर,इला०
6	कमला शंकर	श्री आशाराम	सहायक सचिव ~~सदस्य~~	समाज सेवा	पैगम्बरपुर नयापूरा,पो०-हेतापट्टी इला०
7	दिनेश कुमार यादव	श्री राजपति	सदस्य	समाज सेवा	नरायनपुर,पोस्ट-हेतापट्टी,इला०
8	प्रदीप कुमार	श्री रामजी कुशवाहा	सदस्य	समाज सेवा	मथुरा उर्फ पारनडीह पो०-गारापुर,इला०

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषिम करते है । कि हमने इस स्मृति पत्र तथा संलग्न नियमावली के अनुसार सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट २१ सन् १८६० के अर्न्तगत पंजीकृत कराना चाहते है ।

10.4.2014

Kushwaha Ashish Kum सुरज कली

दिनेश कुमार मन्जू राजकुमार

रामपति

कमलाशंकर

सत्य प्रतिलिपि

6/3/2014

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

40AC 634120

एस० एस० जागरूकता शिक्षा सेवा समिति
इलाहाबाद
स्मृतिपत्र

Rs. 35036

06/01/14

06/01/14

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AC 634119

उ०प्र० एन०जी०ओ०/नेता शिक्षा सेवा समिति

फर्रुखाबाद मै० 35036

निरस्त

6/9/014

06/09/14